

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

**आदेश**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन बिहार आपूर्ति सेवा संवर्ग के निम्नांकित सेवानिवृत्त प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना-2003" सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (संशोधन) नियमावली-2006 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन (संशोधन) नियमावली तथा बिहार कर्मचारी सेवा शर्त "रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना-2010 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-5152 दिनांक- 21.05.2013 में निहित प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने कॉलम-(5) में अंकित देय तिथि से पे बैंड-9300-34800/- ग्रेड पे0-4800/- में द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०	कर्म का नाम/वर्तमान पदस्थापन	जन्मतिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	सरकारी सेवा में प्रथम योगदान की तिथि	आ०नि० संवर्ग में 20 वर्ष पूर्ण होने की तिथि/द्वितीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (अनुमान्य ग्रे०पे०)
1	2	3	4	5
1	स्व० संजय कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बनमनखी, पूर्णियाँ	20.06.1960 मृत्यु की तिथि- 04.09.2014	03.02.1989 (स०च०पदा०)	03.02.2009 03.02.2009 (ग्रे०पे०-4800)
2	श्री उमेश कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर	07.07.1959 31.07.2019	07.03.1989 (स०च०पदा०)	07.03.2009 07.03.2009 (ग्रे०पे०-4800)

02. सभी नियंत्रि पदाधिकारी से अनुरोध है कि उपर्युक्त देय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय उन्नयन का मिलान संबंधित कर्मियों की सेवापुस्तिका से करने के पश्चात् ही अनुमान्य आर्थिक लाभ का भुगतान किया जाए। त्रुटि परिलक्षित होने की स्थिति में अनुशंसा के साथ विभाग को प्रतिवेदित की जाए एवं एतद् संबंधी आदेश के फलस्वरूप यदि अधिक राशि का भुगतान हो जाता है तो इसकी वसूली संबंधित कर्म से एक मुश्त की जाए।

(स्व० उ० कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- प्र०3-(प्र०0)-०4/2014(पार्ट-1) 1086 खाद्य/पटना, दिनांक - 27/02/2026  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव कोषांग/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ एवं मुंगेर/उप निदेशक (खाद्य), पूर्णियाँ एवं मुंगेर/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं मुंगेर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी/संबंधित सेवानिवृत्त प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-08 एवं 05, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- प्र०3-(प्र०0)-०4/2014(पार्ट-1) 1086 खाद्य/पटना, दिनांक - 27/02/2026  
प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

nasim